

## परिशिष्ट-1

नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट- 2024 हेतु वेंडर के चयन के लिए दिनांक 16.02.2024 की बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

खंड सं.	संशोधित खंड
प्रस्तावित इंडिया पवेलियन को पूरी तरह से लकड़ी की सामग्री का उपयोग करके डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा।	प्रस्तावित इंडिया पवेलियन को <b>ऑक्टानॉर्म संरचना</b> में डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा।
5.1.1. थीम एरिया लगभग 36 वर्ग मीटर। एरिया को उत्थापित लकड़ी के फर्श से अलग रखा जाएगा।	5.1.1. थीम एरिया लगभग 36 वर्ग मीटर। एरिया को <b>ऑक्टानॉर्म संरचना</b> में निर्मित किया जाएगा।
5.2.7. सभी वैयक्तिक स्टॉल लकड़ी की सामग्री से निर्मित होंगी और आधुनिक समकालीन और मनोहर दृष्टिकोण प्रदर्शित करेंगी। स्टॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि यह प्रदर्शकों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने में सक्षम बनाए और संभावित खरीदारों/आगंतुकों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सहायता करे। प्रत्येक वैयक्तिक स्टॉल को उचित वॉल से लेकर नए वॉल कार्पेट, बैक लिट वैयक्तिक प्रावरणी, 4 कुर्सियाँ, 1 गोल मेज, 1 अपशिष्ट कागज की टोकरी, 6 डिस्प्ले शेल्क्स, स्टोरेज के साथ 1 लॉक करने योग्य काउंटर, 1 पावर प्वाइंट सॉकेट और प्रत्येक 100 वाट की 6 लाइटें प्रदान की जाएगी।	5.2.7. सभी वैयक्तिक स्टॉल <b>ऑक्टानॉर्म संरचना</b> में निर्मित होंगी और आधुनिक समकालीन और मनोहर दृष्टिकोण प्रदर्शित करेंगी। स्टॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि यह प्रदर्शकों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने में सक्षम बनाए और संभावित खरीदारों/आगंतुकों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सहायता करे। प्रत्येक वैयक्तिक स्टॉल को उचित वॉल से लेकर नए वॉल कार्पेट, बैक लिट वैयक्तिक प्रावरणी, 4 कुर्सियाँ, 1 गोल मेज, 1 अपशिष्ट कागज की टोकरी, 6 डिस्प्ले शेल्क्स, स्टोरेज के साथ 1 लॉक करने योग्य काउंटर, 1 पावर प्वाइंट सॉकेट और प्रत्येक 100 वाट की 6 लाइटें प्रदान की जाएगी।
5.5.4. आगंतुकों के हाथों पर जैविक मेंहदी लगाने का प्रावधान और इसमें पर्याप्त श्रमशक्ति, सामग्री और उपकरणों का प्रावधान शामिल होगा।	<b>खंड सं. 5.5.4.</b> हटा दिया गया
5.5.8. 100 प्रदर्शकों की निर्देशिका (अंग्रेजी में) (आकार: 6x8 इंच लगभग) का प्रावधान, जिसे एजेंसी द्वारा मुद्रित किया जाएगा जिसमें सहभागियों का विवरण भी शामिल होगा और जिनमें से 90 बिलों के साथ मेला स्थल पर टीम एपीडा को और शेष 10 बिलों के साथ दिल्ली कार्यालय के अधिकारियों को सौंपे जाएंगे।	<b>प्रदर्शकों की निर्देशिका डिजिटल रूप में विकसित किया जाएगा।</b>
7.19. एपीडा के दिल्ली कार्यालय में 10 प्रदर्शकों की निर्देशिका जमा करना।	